सार

वो अधिकार जो नैसर्गिक रूप से होने चाहियें तथा शरीअत ने भी उन्हें अनुमोदित किया है, हिंदी भाषा में, लेखक:इब्ने उसैमीन रह़िमहुल्लाह।

इब्न उसैमीन द्वारा, भगवान उस पर दया कर सकते हैं

इसका संक्षिप्तिकरण डॉक्टर हैसम सरहान ने

पूर्व शिक्षक मस्जिद -ए- नबवी
व पर्यवेक्षक मअहद अल-सुन्नह

कॉपीराइट उपलब्ध है

पुस्तिका के अनुवाद के लिए : sunnah.com - बारकोड स्कैन करें

1-अल्लाह तआला का अधिकारः

एक अकेले अल्लाह की इबादत व पूजा करना किसी को उसका साझी बनाये बिना, उसका विनम्र व आज्ञाकारी भक्त बन कर रहना, उसके आज्ञा का पालन करना, उसके निषेध व मना किये हुए कार्य से बचना, उसकी सूचनाओं की पुष्टि करना, आदर्श आस्था व अक़ीदा रखना, ह़क़ व सत्य पर ईमान रखना, फलदायी धार्मिक कर्म करना, ऐसी आस्था रखना जिसका आधार हैः मुह़ब्बत व प्रेम तथा इबादत व पूजा, और उसका फल हैःइख़लास़ व निष्ठा तथा दृढ़ता व अडिगता।

2- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अधिकार:

बिना किसी अतिशयोक्ति और कमी के उचित रूप से उनका आदर, सम्मान, और महिमांडन करना और उनका उचित सत्कार करना।

साथ ही उन पर विश्वास करना तथा उनकी पुष्टि करना जो उन्होंने हमें अतीत और भविष्य की घटनाओं के बारे में सूचित किया है, उन्होंने जो करने की हमें आज्ञा दी है, उसका अनुपालन करना तथा जो उन्होंने निषिद्ध किया है, उससे बचना, यह मानना कि उनका मार्गदर्शन बिल्कुल सटीक, पूर्ण व सही मार्गदर्शन है, तथा उनकी लाई हुई शरीयत (इस्लामी कानून) और उनकी सीरत व मार्गदर्शन का बचाव करना।

3- माता-पिता के अधिकारः

उनके साथ नेकी करना, और यह होगा उनके साथ कर्म एवं कथन में शरीर एवं धन के साथ शिष्टाचार व एहसान करने के द्वारा, उनके आज्ञाओं का पालन करना यदि वो अल्लाह की अवज्ञा पर आधारित नहीं हैं तो और न जिसमें आपको कोई क्षति व हानि होती हो।

4- संतान के अधिकारः

1-पालन-पोषण एवं शिक्षा: यह उनके दिलों में उच्च स्तर पर धर्म और नैतिकता का विकास करना है।

2-उन पर बिना फिजूलखर्ची और लापरवाही के उचित तरीके से खर्च करना।

3- ख़र्चों और उपहारों में किसी को भी एक दूसरे के ऊपर वरीयता न देना।

5- सगे-संबंधियों के अधिकारः

रिश्तेदारी के संबंधों को बनाए रखने के लिए अपने सगे-संबंधियों के साथ भलाई करे, अपनी सामाजिक स्थिति का प्रयोग करके, उन्हें शारीरिक तथा आर्थिक रूप से लाभान्वित करने के लिए प्रयासरत रहे, इस बात को आधार बनाते हुए कि वे कितने निकटवर्ति और जरूरतमंद हैं।

6- पति-पत्नी के अधिकारः

एक-दूसरे के साथ दयापूर्वक रहना और एक-दूजे के जो अधिकार हैं उन्हें पूरी सहनशीलता और सहजता के साथ अदा करना, बिना किसी बाध्यता या टाल-मटोल के।

पत्नी का अपने पति पर अधिकार यह है किःवह उसके भोजन, पेय, वस्त्र, आवास इत्यादि का प्रबंध करे, (और एक से अधिक पत्नी होने की स्थिति में) सभी पत्नियों के मध्य न्यायपूर्ण व्यवहार करे।

पति का अपनी पत्नी पर अधिकार यह है किःअल्लाह की अवज्ञा न करने वाले मामलों में उसकी आज्ञा का पालन करना, उसके रहस्यों और धन की रक्षा करना, और ऐसा कार्य न करना जो पूर्णतःउस से लाभांवित होने से उसे रोक दे।

7-शासकों और प्रजा के अधिकारः

शासकों पर प्रजा के अधिकारःअल्लाह ने उन्हें जो अमानत व दायित्व सौंपा है और जिन जिम्मेवारियों को अदा करने के लिये बाध्य किया है, उसको अंजाम देना, जैसे कि उनका अपनी प्रजा को सलाह देना और उन्हें सही रास्ते पर ले जाना जो लोक और परलोक में उनके लाभ की गारंटी देता है, और ऐसा मोमिनों के मार्ग पर चलते हुए करे।

प्रजा पर शासकों के अधिकारःअल्लाह तआला ने उन्हें उनके मामलों का जो दायित्व सौंपा है उसके विषय में उन्हें सलाह देना, यदि वो लापरवाही करें तो उन्हें (उनका दायित्व) याद दिलाना, यदि वे सत्य मार्ग से भटक जायें तो उनके लिये प्रार्थना करना, अल्लाह की अवज्ञा न करने वाले मामलों में उनका आज्ञापालन करना, और उनकी सहायता करना।

8-पड़ोसी के अधिकारः

पड़ोसी: वह है जिस का घर आप के घर के निकट हो, पैसे, सामाजिक स्थिति और अन्य प्रकार की सहायता का उपयोग करके उनके अच्छे लिये आप जो कुछ भी कर सकते है, उसको करें। आपको उन्हें किसी भी प्रकार का मौखिक या शारीरिक नुकसान पहुँचाने से भी बचना चाहिए।

1- यदि वह वंश के आधार पर आपका संबंधी है और मुसलमान है, तो उसका आप पर तीन अधिकार हैं: पड़ोस का अधिकार, रिश्तेदारी का अधिकार और इस्लाम का अधिकार।

2- यदि वह मुसलमान है और वंश के आधार पर वह आपका संबंधी नहीं है, तो उसके पास दो अधिकार हैं: पड़ोस का अधिकार और इस्लाम का अधिकार।

3- यदि वह रिश्तेदार है परंतु मुस्लिम नहीं है, तो उसके दो अधिकार हैं: पड़ोस का अधिकार और रिश्तेदारी का अधिकार।

4- यदि वह संबंधी नहीं है और गैर-मुस्लिम है, तो उसका केवल एक अधिकार है: पड़ोस का अधिकार।

9- आम तौर पर एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर अधिकारः

उन्हीं में से हैः सलाम करना, यदि वह आपको आमंत्रित करता है, तो निमंत्रण स्वीकार करें, यदि वह आपसे सलाह मांगे, तो उसे अच्छी सलाह दें, अगर वह छींकता है और 'अल्हम्दुलिल्लाह' कहता है, तो 'यरहमुकल्लाह' कहें, यदि वह बीमार हो, तो उससे

भेंट करने के लिये जायें, यदि वह मर जाता है, तो उसके अंतिम संस्कार में शामिल हों, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने से बचें।

एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर अनेक अधिकार हैं, परंतु उन्हें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के अर्थ में संक्षेपित किया जा सकता है: "एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है"। इस भाईचारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये व्यक्ति अपने भाई के लिये सभी प्रकार की अच्छाइयों की तलाश करने का प्रयास करेगा तथा उसे नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी चीज़ से बचने का प्रयास करेगा।

10- गैर-मुस्लिमों के अधिकार:

एक मुस्लिम शासक को जीवन, धन एवं मान-मर्यादा में इस्लामी कानून के अनुसार उन पर शासन करना चाहिए, जिन्हें वो ह़राम व निषेध समझते हैं उन (का अपराधी हो जाने पर, उन) के ऊपर ह़द्द (इस्लामी शरीअत के अनुसार निर्धारित दंड) लगाना, उनकी सुरक्षा करना तथा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना।

उन्हें पोशाक में मुसलमानों से अलग होना चाहिए, और वो इस्लाम में वर्जित किसी भी चीज़ को अथवा अपने धर्म के किसी
भी अनुष्ठान को प्रकट रूप से न अंजाम दें जैसे घंटी अथवा क्रॉस।

विषय सूची

1-अल्लाह तआला का अधिकारः
2-अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अधिकार
3-माता-पिता के अधिकारः
4-संतान के अधिकारः
5-सगे-संबंधियों के अधिकारः
6-पति-पत्नी के अधिकारः
7-शासकों और प्रजा के अधिकार:
8-पड़ोसी के अधिकारः
9-आम तौर पर एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर अधिकार:
10-गैर-मुस्लिमों के अधिकार:

मअहद अल-सुन्नह
mahadsunnah.com

शैख़ की वेबसाइट
alsarhaan.com

0504250337 mahadsunnah